Kelkar Committee Recommendations on Newsprint Import

3652. SHRI SUNDER SINGH BHANDARI : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) what action has been taken by Government on the Kelkar Committee recommendations on newsprint import;

(b) whether Government are considering to alter the present equation to allowing to import one tonne of newsprint against the purchase of two tonnes of idigenous newsprint; and

(c) whether Government are aware of the threats to the ongoing expansion of Indian Newsprint producers and the steps being taken to ease the situation ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) Ministry of A&B has intired that the Kelkar Committee submitted its report to the Government in August 1988. The Government considered the report and most of the recommendations have been implemented. The report has also been scrutinised by the Estimates Committee of the Tenth Lok Sabha as reflected in their 18th report (1992-93) presented to the Lok Sabha on 12-8-92.

(b) and (c) The entire gamut of issues pertaining to the newsprint policy in all its dimensions is at present under consideration in the Deptt. of Industrial Development/ Ministry of Information &Broa-casting.

चाय उद्योग का विकास

3653. **श्री बीरेन जे० शाह :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय उद्योग से वसूले जाने वाले उपकर के माध्यम से प्राप्त राशि का उपयोग चाय उद्योग के विकास के लिए किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस प्रकार से एकत्र किए गए धनराशि का मात्र 2 प्रतिशत उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण हेतु और 17 प्रतिशत अनुसंधान और विकास हेतु खर्च किया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि इस धनराशि का 37 प्रतिशत प्रशासनिक व्ययों पर खर्च किया जा रहा है ;

(घ) यदि हां, तो अनुत्पादक व्यय पर अधिक तथा उद्योग के विकास पर कम राशि खर्च किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या सरकार विभिन्न शीर्षों के अधीन किए जाने वाले वर्तमान खर्चों के प्रतिशत में भविष्य में भारी परिवर्तन करके कुल धनराशि का कम से कम 50 प्रतिशत श्रमिक कल्याण और अनुसंधान तथा विकास पर खर्च करने का विचार रखती है ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) देश में उत्पादित चाय पर जो उपकर लगता है उसका उपयोग भारत से बाहर चाय संवर्धन, अनुसंधान तथा विकास, श्रमिक कल्याण उपायों जैसे क्रियाकलापों और चाय बोर्ड के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है । व्यय के मौजूदा

रूख के आधार पर उपकर का औसत प्रयोग निम्नानुसार है :—

1. विदेशों में संवर्धन .	43.5%
2. अनुसंधान अनुदान .	13.5%
3. विकास अनुदान .	3.8%
4. श्रमिक कल्याण .	1.7%
5. वेतन तथा भत्ते, पेंशन, ऊन तथा अन्य प्रभारों सहित प्रशासनिक व्यय	37.5%
योग : .	100.00%

(घ) चाय उद्योग के अनुसंधान सहित विकास क्रियाकलापों का वित्तपोषण मुख्यत: योजना बजट में से किया जाता है जिसे चाय बोर्ड द्वारा चलाई जा रही योजना स्कीमों के तहत स्वीकृत किया जाता है । इसके लिए निधियों की अलग से व्यवस्था की जाती है । इन स्कीमों को लागू करने की प्रशासनिक लागत जिसमें बोर्ड के प्रशासनिक व्यय भी शामिल है, उपकर बजट से पूरी की जाती है ।

(ङ) जी, नहीं ।

(च) श्रमिक कल्याण क्रियाकलाप चाय बागान मालिकों और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा चलाए जाते हैं । चाय बोर्ड भी इन कार्यकलापों के लिए सीमित रूप में सहायता प्रदान करता है । जहां तक अनुसंधान तथा विकास का संबंध है, इसके लिए भी चाय बोर्ड की योजना स्कीमों के अधीन प्रावधान किया जाता है । अत: गैर-योजना (उपकर) बजट के तहत श्रमिक कल्याण उपायों और अनुसंधान एवं विकास के लिए बजट बढ़ाकर उपकर वसूली के 50% तक किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

मध्य प्रदेश में चाय और कॉफी की खेती

3654. श्री अजीत जोगी :
श्री मूलचन्द मीणा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में चाय और काफी की खेती के लिये वहां की परिस्थितियों के अनुकूल होने संबंधी मूल्यांकन करने हेतु कोई प्रयोग किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले है ; और

(ग) सरकार उन क्षेत्रों में, जहां चाय और काफी की खेती के लिये उपयुक्त जल, जलवायु और भूमि पायी गई है, इनकी खेती को प्रोत्साहित करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) जहां तक चाय का संबंध है, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमि० द्वारा कुछ क्षेत्रों में परीक्षण के तौर पर रोपण किया गया परन्तु प्रतिकूल कृषि जलवायु दशाओं की वजह से पौधों के भारी संख्या में मर जाने के कारण इसको बन्द कर दिया गया ।

जहां तक काफी का संबंध है, वर्ष 1984 से 1990 तक किये गये सर्वेक्षण से पता चला है कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बेतुल और बस्तर जिलों में कुल 1003 हेक्टेयर भूमि काफी की खेती के लिये उपयुक्त है ।